



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213

Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176213

क्रमांक: हि०शि०बो०संबद्धता (38)/2022/ 730-780 दिनांक: 07-09-2022

“अधिसूचना”

अधिसूचित किया जाता है कि सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 9th से +2 की नवीनीकरण संबद्धता (Renewal Affiliation)/ कक्षा स्तरोन्नत (Up-gradation) एवं नई संबद्धता (fresh Affiliation) प्राप्त करने वाले निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा निम्न प्रक्रिया अमल में लाई जानी है।

क्रमांक	संबद्धता प्रक्रिया	मास/तिथि
1.	बोर्ड कार्यालय द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों (तीन हिन्दी एवं तीन अंग्रेजी) के माध्यम से संबद्धता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र मंगवाये जाने बारे समाचार प्रकाशित किये जायेंगे।	मास सितम्बर, 2022
2.	निजी शिक्षण संस्थानों को अपने संबद्धता आवेदन बोर्ड कार्यालय में जमा करवाने होंगे।	31 अक्टूबर, 2022 तक
3.	बोर्ड कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदनों पर संस्थानों का निरीक्षण करवाया जायेगा।	30 नवम्बर, 2022 तक
4.	संस्थानों से प्राप्त आवेदनों/निरीक्षण पर पाई गई कमियों को बोर्ड कार्यालय द्वारा संस्थानों को सूचित किया जायेगा।	15 दिसम्बर, 2022 तक
5.	संस्थानों द्वारा कमियों की पूर्ति की जायेगी।	30 दिसम्बर, 2022 तक
6.	बोर्ड कार्यालय द्वारा संस्थानों के आवेदनों पर लिये गये निर्णय बारे सूचित किया जायेगा।	31 जनवरी, 2023 तक

संबद्धता हेतु सभी आवेदन करने वाले संस्थानों को संबद्धता आवेदन Online करने के पश्चात आवेदन पत्र अन्य दस्तावेजों के साथ डाक के माध्यम से भेजने आवश्यक होंगे। Online आवेदन करने की तिथि 1st अक्टूबर, 2022 से 25th अक्टूबर, 2022 तथा संबद्धता आवेदन फार्म को पूरा भरकर Hard Copy, संबद्धता हेतु आवश्यक दस्तावेजों सहित Off-line कार्यालय में जमा करवाने की तिथि 31-10-2022 निर्धारित की गई है। इसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। संबद्धता शुल्क सभी आवेदनकर्ता संस्थानों द्वारा Online Payment Gateway के माध्यम से जमा करवाया जाना है। संबद्धता से संबंधित समस्त जानकारी विवरण पुस्तिका (Prospectus) में बोर्ड की वेबसाइट www.hpbose.org पर उपलब्ध है।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 9th-12th तक की संबद्धता प्रदान की जाएगी। कक्षा 1st-8th तक निजी शिक्षण संस्थानों को शिक्षा विभाग द्वारा RTE Act 2009 के अन्तर्गत मान्यता (Recognition) प्रदान किए जाने का प्रावधान है। अतः बोर्ड कार्यालय द्वारा केवल कक्षा 9th से 12th तक की संबद्धता हेतु भेजे जाने वाले आवेदनों को ही स्वीकार किया जाएगा।

निजी शिक्षण संस्थानों को सत्र 2023-24 की संबद्धता हेतु Online आवेदन करना आवश्यक है। संबद्धता रेगुलेशन एवं आवेदन पत्र गत वर्ष की भान्ति केवल बोर्ड वेबसाइट



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213

Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176213

पर ही उपलब्ध होगा। इच्छुक संस्थान इसे स्वयं दिनांक 1st अक्टूबर, 2022 से download करके, इसमें मॉगी गई समस्त जानकारी भरकर बोर्ड कार्यालय को Online करने के पश्चात भेज सकते हैं। संबद्धता प्राप्ति से पूर्व कोई भी निजी शिक्षण संस्थान अपने स्कूल में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, अन्यथा छात्रों को होने वाली हानि और उसकी भरपाई का वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

अतः निजी शिक्षण संस्थान संबद्धता बारे आवेदन करने से पूर्व विस्तृत जानकारी हेतु Affiliation Rules and Regulations(Prospectus) का गहन अध्ययन अवश्य करें, क्योंकि कौन-कौन से दस्तावेजों को संबद्धता आवेदन के साथ संलग्न किया जाना है उस बारे सही जानकारी मिल सके। सभी संस्थानों को अन्य निर्धारित दस्तावेजों के साथ-साथ नवीनतम Fire Safety Certificate from Chief Fire Officer Shimla, Building Safety Certificate from Executive Engineer PWD Concerned एवं शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी संलग्न करना आवश्यक होगा।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि।

सचिव

दिनांक: 07-09-2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अनुभाग अधिकारी (अध्यक्ष/सचिव) हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड।
2. समस्त सहायक सचिव/अनुभाग अधिकारी, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड।
3. समस्त जिला प्रबन्धक, पुस्तक वितरण, सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड।
4. अनुभाग अधिकारी (IT Cell) हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड को website पर upload करने हेतु।
5. लोक सम्पर्क अधिकारी, स्कूल शिक्षा बोर्ड को इन निर्देशों के साथ प्रेषित है कि वह इस अधिसूचना को तीन हिन्दी व तीन अंग्रेजी के समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित करें।

- sd -

सचिव